



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 12448/2017**

| <b>अपीलार्थी</b>   | <b>बनाम</b> | <b>प्रत्यर्थी</b>  |
|--|-------------|--|
| मुकेश चौहान<br>दुकान न. 09/30, पालिका बाजार,<br>मालवीय नगर,<br>जयपुर, राजस्थान |             | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं<br>आवासीय अभियन्ता<br>राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड<br>2, जयपुर |

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
निर्णय**

**दिनांक : 22-03-2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री मुकेश चौहान, आवासीय अभियन्ता उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 29-04-2017 के द्वारा मालवीय नगर सेक्टर नं0 10/838 से लेकर 10/962 तक के मकानों के साथ रोड़ को सम्मिलित करते हुए पूर्ण सिविर लाईन की लेआउट प्लान के बारे में 07 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 13-07-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के क्रम में पूर्व में भी आयोग की अपील संख्या 1861/2017 निर्णय दिनांक 02-08-2017 एवं 8030/2017 निर्णय दिनांक 22-12-2017 द्वारा खारिज की जा चुकी है। यह अपीलें भी इसी प्रकरण से संबंधित हैं अतः वर्तमान अपील को खारिज फरमाई जावे।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 28-12-2017 प्रस्तुत किया है जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर में उल्लेख किया है कि इस कार्यालय में सिविर लाईन संबंधित कोई भी रिकार्ड संधारित नहीं होता है। जिसके संबंध में अपीलार्थी को पत्र दिनांक 05-05-2017 द्वारा सूचित किया जा चुका है। मकान संख्या 10/992 मालवीया नगर से संबंधित अपील माननीय आयोग की अपील संख्या 1861/2017 निर्णय दिनांक 02-08-2017 द्वारा खारिज की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भू उपयोग परिवर्तन संबंधी रिकार्ड इस कार्यालय में संधारित नहीं होता है। प्लेट संख्या 10/952 को

आवांटित अतिरिक्त भूमि 8.10 गुणा 7.40 मीटर का आवांटन पत्र सम्पदा प्रबन्धक द्वारा दिनांक 22-12-1991 को जारी किया गया है। शेष सूचनाओं के क्रम में आयोग द्वारा अपील संख्या 1861/2017 खारिज की जा चुकी है। अतः वर्तमान अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जावे।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील मैन्टेनेबल नहीं होने व अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)  
मुख्य सूचना आयुक्त